24 वाहन

जिला स्तर पर वाहन का उपयोगः–

- जिला स्तर पर वर्ष 2010–11 में तीन वाहन का प्रावधान निर्धारित किया गया।
- जिला कार्यालय पर जिला परियोजना समन्वयक, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सहायक अभियंता, सहायक परियोजना उपयोग कर सकेगे, परन्तु वाहनों पर उनका एकाधिकार नहीं होगा।
- जिला स्तर पर उपलब्ध तीन वाहन जिला परियोजना समनवयक, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सहायक अभियंता, सहायक लेखाधिकारी व सहायक परियोजना समन्वयक समन्वय स्थापित कर जिले में यात्रा कर सके। मुख्य रूप से एक वाहन जिला परियोजना समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक के मध्य रहेगा। एक वाहन सहायक अभियंता एवं सहायक लेखाधिकारी के मध्य रहेगा तथा एक वाहन सहायक परियोजना समन्वयकों के मध्य रहेगा।
- वाहन किराये पर लेने हेतु जिला कार्यक्रम एवं ब्लॉक कार्यालय हेतु अलग–अलग निविदाएं जिला स्तर पर जारी की जानी चाहिए।
- जिला स्तर पर ब्लॉक कार्यालय हेतु आमंत्रित निविदाओं में यह शर्त रखी जावे कि ब्लॉक कार्यालय पर वाहन ब्लॉक मुख्यालय से ही उपलब्ध कराना होगा।
- प्रत्येक ब्लॉक पर 7 दिवस तक वाहन उपयोग की स्वीकृति होगी। वाहन का उपयोग बीआरसीएफ/जेईएन/लेखाकार/आरपी सामूहिक रूप से करेगे।
- प्रत्येक ब्लॉक पर 3 दिवस तक वाहन के उपयोग की स्वीकृति सामूहिक रूप से बीईईओ/एबीईईओ/एसडीआई को होगी।
- प्रत्येक ब्लॉक पर कुल मिलाकर अधिकतम 10 दिवस वाहन का उपयोग किया जा सकता है। उक्त 10 दिवसों के लिए एक ही वाहन लिया जाना उचित रहेगा, जो कि 7 दिवस बीआरसीएफ कार्यालय एवं 3 दिवस बीईईओ कार्यालय में उपयोग होगा।
- ट्रेनिंग/क्वालिटी मॉनिटरिंग एव अन्य गतिविधियों हेतु पूर्व अनुमति से लिए गए वाहन उक्त दिवसों मे सम्मिलित नहीं होगे।
- वाहन लिए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वाहन टैक्सी नम्बर हो, वाहन चालक के पास लाईसेंस हो, वाहन का फिटनेस एवं समस्त कर वाहन मालिक द्वारा अदा किया हुआ हो। वाहन में लॉक बुक हो।
- जिला स्तर पर पूल इन्चार्ज बनाये जाने तथा सभी वाहनों का पर्यवेक्षण ओआईसी पूल जिला स्तर पर किया जावे।
- वाहन की लॉक बुक नियमित यात्रा करने वाले अधिकारी द्वारा भरनी चाहिए एवं नियंत्रक अधिकारी/डीपीसी द्वारा समय–समय पर पर लॉक बुक का निरीक्षण करना चाहिए।
- अधिकारी वाहन के उपयोग के साथ पर्यवेक्षण भी सुनिश्चित करे।
- जयपुर परिषद् मुख्यालय पर बैठकों में भाग लेने के लिए जिला अधिकारी अनुबन्धित वाहन (टैक्सी) का उपयोग नहीं करेगे।
- जिला स्तर पर प्रति वाहन प्रतिमाह 13500/– रूपये से अधिक का भुगतान नहीं किया जायेगा।

- वाहन को यदि रात्रि में छोड़ा जाता है तो लॉक बुक मे किलोमीटर अंकित कर छोड़ा जावे तथा प्रातः वाहन वापस कार्यालय में आने पर किलोमीटर अंकित करे।
- जिला स्तर पर यदि किसी योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये वाहन उपलब्ध है तो उनको ही उपयोग में लिया जावे। उनका मेंटीनेंस एवं पीओएल चार्जेज 13500/– रूपये प्रतिमाह की सीमा तक किया जावे।
- राज्य स्तर पर निम्न प्रपत्र में प्रभारी अधिकारी (पूल) को उपलब्ध कराई जावे।

क्र. सं.	वाहन का क्रमांक	वाहन मालिक का नाम	प्राप्त दर प्रति कि.मी.	विशेष विवरण

- जिला मुख्यालयों पर डीपीईपी/एसएसए/लोजुप के अन्तर्गत क्रय किए गये वाहन की मरम्मत इत्यादि पर होने वाले भार व्यय की पूर्व सक्षम स्वीकृति परिषद् मुख्यालय (नियंत्रक वित्त/वरिष्ठ लेखाधिकारी) से अवश्य प्राप्त करे।
- जिले के दौर के समय जिला प्रभारी अधिकारी अपने–अपने जिलो की पूल व्यवस्था का भी निरीक्षण करेगे एवं यह सुनिश्चित करेगे कि वाहन का दुरूपयोग नही हो। कोई भी अव्यवस्था पाये जाने पर जिला परियोजना समन्वयक को लिखित में निर्देशित करे एवं अपनी विजिट रिर्पोर्ट में भी उसका उल्लेख करें।
- गाड़ियों हेतु किये गये टेण्डर (जिला, ब्लॉक स्तर) की प्रति नियम व शर्तो सहित परिषद् मुख्यालय को प्रेषित करे।

वाहन :–

1. जिला मुख्यालय पर पर मासिक आधार पर 3 वाहनों को रखना चाहिए।
2. वाहन का यथा सम्भव सामूहिक उपयोग करना चाहिए।
3. प्रत्येक ब्लॉक पर बीआरसीएफ/जेईएन/लेखाकार/आरपी को 7 दिवस वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी।
4. प्रत्येक ब्लॉक पर बीईईओ/एबीईईओ/एसडीआई को 3 दिवस वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी।
5. वाहन टेण्डर प्रक्रिया से उपलब्ध कराये जायेगे एवं वाहन टी नम्बर तथा सभी पेपर पूर्ण हो।
6. टेण्डर की प्रतियां परिषद् कार्यालय पर अवश्य भिजवायें।
7. जिला मुख्यालय एवं ब्लॉक स्तर हेतु अलग–अलग टैण्डर किए जावे।
8. परिषद् मुख्यालय पर बैठकों में भाग लेने आने वाले अधिकारी/कर्मचारी वाहन लेकर न आये।
9. लॉक बुक का नियमित संधारण होना चाहिए।
10. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समय–समय पर लॉक बुक का निरीक्षण व प्रमाणीकरण करेगे।
11. वाहनों की मरम्मत जिला पूल के मोटर गैराज से कराई जाए।
12. मरम्मत इत्यादि पर होने वाले भारी व्यय की स्वीकृति परिषद् मुख्यालय से प्राप्त करे।